संख्या 3049–5 जी0एस0–1–73/14393

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़, तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 5 जून, 1973 ।

विषय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति करने बारे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1507–5 जी0एस0–1–73/8724, दिनांक 30–3–73 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और कहूं कि सरकार ने इस मामले पर आगे विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि यह हिदायतें श्रेणी III के पदों पर काम कर रहे उन कर्मचारियों के केसों में भी लागू होंगी जिनका वेतनमान लिपिक के वेतनमान से कम है । उदाहरण के तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि रैस्टोरर, गैस्टेटनर आप्रेटर आदि के पद भी इन्हीं हिदायतों के तहत आयेंगे ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को हरियाणा सरकार के अशा: क्रमांक 1507–5 जी0एस0–1–73, दिनांक 30–3–73 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जानी है ।

वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।